

#1173

आजीव सेवा शिदिर-2025

राजस्थान सरकार अधिकाारी पदेन सहायक कलक्टर कापसन - प्रितीकपद (सख)

पीठारंगन अधिकाारी : राजस्थान सेवा शिदिर 2025 कैमप सभल - कपसन

धारा 3, तगीत - 136 तसं. 339/25 दपतर दिनांक 27/9/25 निर्णय दिनांक 27/9/25



क्र. नं.	नगर प्राम	खण्ड	रिपोर्ट	कपसन आदेश
1	<u>कपसन</u>	<u>256</u>	<p>राजस्थान जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकाारी महोदय कपसन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी <u>हस्ताक्षर गिरदीनर</u> हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>कपलय उपखण्ड अधिकाारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कापसन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपसन की अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायी अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम <u>कपसन</u> प.ह. <u>कपसन</u> खातासं. <u>256</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपसन</p>

प्रतिनिधि पालनाथ:- पटवारी

1. पटवारी पटवार पटवार मण्डल कपसन को भोजकर लेख है कि आदेशा मुहसीलदार (भू.अ.ह.) ने कपसन हस्ताक्षर किये जाते हैं।

तहसीलदार (भू.अ.) कपसन